

## कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

तहसीलदार अजमेर

### न्यायालय तहसीलदार अजमेर

प्रकरण संख्या 12/2020

सरकार जरिये पटवारी हल्का भूडोल बनाम

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू.राजस्व  
अधिनियम 1956

श्री परमेश्वर सिंह पुत्र कामड  
जाति रावत निवासी भूडोल

#### निर्णय

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है। कि पटवारी हल्का भूडोल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम भूडोल के खसरा नम्बर 3528 रकबा 0.17 हैक्टयर चरागाह भूमि है। जिसमें से 0.10 हैक्टयर भूमि पर रजका कर कब्जा किया गया है।

वर्तमान में ग्राम भूडोल की आराजी खसरा नम्बर 3528 रकबा 0.17 हैक्टयर मुताबिक रिकॉर्ड चरागाह भूमि दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल व गैर सायल अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो असन्तोषप्रद पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी सम्वत 2076 के अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडोल अनुसार ग्राम भूडोल के खसरा नम्बर 3528 रकबा 0.17 हैक्टयर चरागाह भूमि है जिसमें अतिक्रमी श्री परमेश्वर सिंह पुत्र कामड जाति रावत ग्राम भूडोल द्वारा खसरा नम्बर 3528 रकबा 0.10 पर अनाधिकृत कब्जा किया जाना साबित होता है।

अतः उक्त अतिक्रमित भूमि ग्राम भूडोल के खसरा नं 3528से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है साथ ही अतिक्रमित भूमि की लगान 2रु का पचास गुना 100रु शास्ती आरोपित से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व अभि० निरीक्षक/पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वसूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग की राशि 100/-  
रा.ले.सं.-4 वर्ष 2019-2022 के पृष्ठ सं. 28.  
पर इन्द्राज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार  
अजमेर

तहसीलदार अजमेर  
तहसीलदार, अजमेर